अज अदालत ________ मुकाम ________

________ कमलेश ________ बनाम ________ कन्हैयालाल ________

किस्म मुकदमा.....राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अर्न्तगत धारा 225 ________ नं 54/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.21	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है। दर्ज रजिस्टर की जावे।	

अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री जगदीश प्रसाद नादान उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर की प्रमाणित फर्द अहकाम दिनांक 02.09.2020 से मियाद बाहर पेश की गई।

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के आदेश दिनांक 20.09.20 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया गया है कि आराजी ख.नं. 19, 27, 31, 32, 50, 51, 72, 86/278 वाके ग्राम बहतुखुर्द तहसील कठूमर के विवादित आराजीयात के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद तकसीम व हुक्म ईम्तनाई बाबत आराजी ख.नं. 19 रकबा 68 ऐयर, 27 रकबा 41 ऐयर, 31 रकबा 42 ऐयर, 32 रकबा 1.33 हैक्टेयर, 50 रकबा 11 ऐयर, 51 रकबा 01 ऐयर, 72 रकबा 92 ऐयर, 86/278 रकबा 58 ऐयर वाके ग्राम बहतु खुर्द तहसील कठूमर जिला अलवर में वादी का 1/21 हिस्सा है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 ला. 8 की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं। जो अभी अबट है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की जोईण्ट होल्डिंग की आराजी है लगान पक्षकारान शामलात में अदा कर रहे हैं तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य छोटी छोटी बातो पर कहासुनी हो जाती है। वादी द्वारा अधिनस्थ अदालत से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी तकसीम करने की डिक्री चाही गई, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.20 को इकतरफा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मिन अपीलाण्टा को पाबन्द फरमा दिया गया। बिना पक्षकारान की तलबी कराये तथा बिना प्रतिवादी अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका प्रदान किये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर प्रतिवादीगण को पाबंद कर दिया गया। विवादित आराजी में रेस्पोडेण्ट वादीगण के अलावा अपीलाण्ट प्रतिवादी एवं तरतीबी रेस्पो0 को हित निहित है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नहीं किया गया। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत के आदेश दिनांक 02.09.20 को अपास्त किया जावें।

अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम, अदालत मातहत के फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति, राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निर्णय दिनांक 02.09.20 को इकतरफा में मिन अपीलाण्टा के पीछे से बालाबाला पारित किया गया है जिसकी जानकारी मिन अपीलाण्टा को दिनांक 06.09.21 को हुई जबकि मिन अपीलाण्टा अपनी माताजी द्वारा हक त्याग की

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।
2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।
3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।
4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी ग्राम बहतूखुर्द तहसील कठूमर सम्वत् 2073–76 में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सह काश्तकार हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनेक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्बंधित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विवादित आराजियात पर कोई निर्माण कार्य न करें। अदालत मातहत के आदेशिक दिनांक 02.09.20 में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर उसी दिन अप्रार्थी/अपीलाण्ट को बिना सुने ही एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। आदेश में इस बात का अंकन कहीं नहीं है कि क्या अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है और उक्त आदेश से पूर्व क्या अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए उस दिनांक को कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है।

द्वितीय, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार ये तीनों घटक प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के पक्ष में हैं।

तृतीय, अदालत मातहत द्वारा एक वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। जबकि ऐसे आदेशों को 01 माह की अवधि में निस्तारित किया जाना अनिवार्य है।

चतुर्थ, अदालत मातहत द्वारा पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 12.03.2014 के मार्गदर्शनों की पालना नहीं की गई है।

पंचम, तहत अदालत की आदेशिका में ऐसी किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं है कि प्रकरण 'अत्यंतावश्यकता' का है, जिसके कारण एकपक्षीय अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के आदेश दिनांक 02.09.20 को प्रचलन से स्थगित किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

निर्णय प्रति तह. अदालत भेजी: 1046 9.11.21

आदेश आज दिनांक 27.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।